

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक
सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बिहार।

पटना, दिनांक- 24.10.2024 /

विषय: निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन/ परीक्षा से संबंधित निर्धारित सभी शुल्क इत्यादि का बोर्ड बनवाकर संस्थानों के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय अधिसूचना संख्या-1308 दिनांक-27.06.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1308 दिनांक 27.06.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्यान्तर्गत NCVT संबधन प्राप्त सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है-

क्र०सं०	व्यवसाय की श्रेणी	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रति प्रशिक्षणार्थी वार्षिक शुल्क
1	इंजीनियरिंग	26,000/-
2	गैर-इंजीनियरिंग	21,200/-

2. इसके अतिरिक्त निम्न विवरणी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों से लिए जाने वाली परीक्षा शुल्क

निर्धारित है

क्र०सं०	शुल्क की श्रेणी	शुल्क का विवरण	प्रशिक्षणार्थियों से ली जाने वाली राशि (रु०)
1	परीक्षा शुल्क	व्यवहारिक	200/-
		सैद्धांतिक (समय समय पर DGT भारत सरकार द्वारा निर्धारित)	213/- (GST अतिरिक्त)

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन/ परीक्षा से संबंधित निर्धारित सभी शुल्क इत्यादि का बोर्ड बनवाकर संस्थानों के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड पर संस्थान का नाम एवं प्राचार्य/ निदेशक का हस्ताक्षर निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए। साथ ही शुल्क संबंधी किसी प्रकार की जानकारी/ शिकायत हेतु बोर्ड पर कार्यालय/ प्राचार्य का दूरभाष/ मोबाईल नं० अंकित होना चाहिए। यह कार्य दो सप्ताह के अन्दर पूर्ण करते हुए प्रदर्शित बोर्ड का रंगीन फोटो निदेशालय को det-bih@nic.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


24.10.24
निदेशक

नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक टी-2 संबन्धन-08/2018-2970/

पटना, दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि: - विभागीय आईटी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन/ परीक्षा से संबंधित निर्धारित शुल्क की विवरणी (प्रति संलग्न) को विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाय।


निदेशक
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
प्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

1129

संख्या-टी-2/संबन्धन-08/2018- /पटना दिनांक 2022
प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार के
पत्रांक-DGE&T-19/19/2012-CD(PI) दिनांक-06.04.2022 के आलोक में राज्यान्तर्गत NCVT संबन्धन प्राप्त
सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न
प्रकार अधिसूचित किया जाता है-

1. शुल्क निर्धारण निम्नवत् है-

क्र०सं	व्यवसाय की श्रेणी	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रति प्रशिक्षणार्थी वार्षिक शुल्क
1.	इंजीनियरिंग	26,000/-
2.	गैर-इंजीनियरिंग	21,200/-

- मानक प्रशिक्षण शुल्क को केवल इंजीनियरिंग एवं गैर-इंजीनियरिंग समूह के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण शुल्क संरचना शहरी क्षेत्रों के समान होगी।
- वर्ष 2024 से 5% प्रतिवर्ष की एक समान वृद्धि अनुमान्य होगी।
- पाँच साल बाद शुल्क संरचना की समीक्षा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की जाएगी।
- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपरोक्त मानक प्रशिक्षण शुल्क में यह माना गया है कि प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण प्रदान करने में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाएगा। तकनीकी सुधार के आलोक में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों से आच्छादित होता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(गजेन्द्र मिश्रा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- टी-2/संबन्धन-08/2018- 1308/पटना दिनांक 27.06.2022
प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार के राजपत्र में प्रकाशित
कराने हेतु (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, प्रम संसाधन विभाग)/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान
सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री बिहार के प्रधान
सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी
बिहार/प्रधान महालेखाकार, बिहार/अपर निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, अर्थ एवं सांख्यिकी
निदेशालय, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल
विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार/ सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बिहार
पटना/प्राचार्य/निदेशक, सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य राजकीय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।